डीजी परिपत्र संख्या -49 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः अगस्त 12 ,2016

विषय- बच्चों के साथ बलात्कार करने तथा इसकी वीडियो फिल्म बनाकर बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप अवगत हों कि विगत दिनों इस मुख्यालय में प्रदेश के कतिपय जनपदों में बच्चों से बलात्कार करने तथा इसकी वीडियों फिल्म बनाकर बिक्री किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। आप सहमत होंगे कि यह एक घृणित अपराध है, जिसमें शामिल अभियुक्तों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बलात्कार की वीडियो फिल्म बनाकर खरीदने एवं बेंचने के इस व्यवसाय पर भी प्रभावी अंकुश लगाना पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया इनका अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

- ऐसी घटना की सूचना प्राप्त होने पर बिना विलम्ब किये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाये।
- जनपद में इस तरह की सी0डी0 बेंचने के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्रित की जाये। अभिसूचना एकत्र करने हेतु स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों, वीट के आरक्षी तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष को उत्तरदायी बनाया जाये।
- एकत्र की गयी सूचना के आधार पर ऐसे स्थानों एवं दुकानों का चिन्हांकन किया जाये, जहॉ पर इस प्रकार के सी0डी0 खरीदने एवं बेंचने का कारोबार हो रहा हो। इन चिन्हित स्थानों पर छद्म ग्राहक भेजकर बिक्री की जा रही सी0डी0 की बरामदगी का प्रयास किया जाये तथा इस प्रकार के व्यवसाय में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कठोर कार्यवाही की जाये।
- इस सी0डी0 में बच्चों से बलात्कार करने वाले अभियुक्तों की पहचान की जाये तथा इन्हें गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
- बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले तथा इसकी वीडियो बनाकर बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection Of Children From Sexual Offence Act 2012) (POCSO) एवं भा0द0वि0 की धाराओं के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाये।
- सम्भव है कि इस प्रकार के गैर कानूनी एवं घृणित अपराध एक संगठित गिरोह द्वारा व्यवसायिक लाभ हेतु किया जा रहा हो। ऐसे संगठित गिरोह को चिन्हित किया जाये तथा इस गिरोह के सारे सदस्यों की हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही की जाये, ताकि इनपर सतर्क दृष्टि रखी जा सके। इसके अतिरिक्त इनके विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाये। इस तरह के व्यवसाय में लिप्त अपराधियों के संगठित गिरोह के सदस्यों की अपराध से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति को भी गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये।

- बलात्कार का वीडियो बनाकर बेचने/खरीदने एवं इण्टरनेट पर अपलोड करने का अपराध आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत भी दण्डनीय है। ऐसे अपराधियों के विरूद्ध आई0टी0 एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- ऐसे अपराध से पीड़ित बच्चों को हर सम्भव कानूनी सहायता प्रदान की जाये तथा इनके कांउसलिंग की भी व्यवस्था की जाये। इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वयंसेवी (Paralegal Volunteer) की मदद पीड़ित बच्चों को उपलब्ध करायी जाये।
- पुलिस द्वारा इस तरह के अपराध के शिकार बच्चों की पहचान कभी उजागर नहीं की जाये तथा ऐसे पीड़ित बच्चों से बातचीत एवं पूछतांछ करने में पर्याप्त सावधानी बरती जाये। मीडिया को घटना की ब्रीफिंग करते समय पीड़ित पक्ष के विरूद्ध कोई अमर्यादित टिप्पणी न की जाये।
- इस प्रकार के अपराध की विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः इसकी विवेचना गहनता से की जाये तथा इसमें पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किये जायें।
- सी.आर.पी.सी. की धारा-173(1ए) के अन्तर्गत बच्चों के साथ हुए बलात्कार की विवेचना तीन माह के अन्दर अवश्य पूर्ण कर ली जाये।
- इस प्रकार की घटनाओं में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायी जाये। यथा सम्भव इन मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानान्तरित कराने का प्रयास किया जाये तथा माननीय न्यायालय में पैरवी का अनुश्रवण करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये।

मैं चाहूँगा कि आप कृपया उपरोक्त निर्देशों का स्वयं अध्ययन कर लें तथा अपने अधीनस्थ नियुक्त सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को भली-भॉति अवगत करा दें। इस दिशा में पुलिस को और अधिक संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। इन निर्देशों का पूरी निष्ठा एवं गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये जिससे इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके तथा जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे।

भवदीय,

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।